


कार्यालय आयुक्त एवं निबन्धक सहकारिता उ०प्र०
 परिपत्रांक सी- 70 / अधि० रिट-14 / दिनांक: लखनऊ: 20 नवम्बर 2015
 1-समस्त सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक, (जनपद भदोही, मिर्जापुर, सोनभद्र को छोड़कर)
 सहकारिता, उत्तर प्रदेश।
 2-समस्त क्षेत्रीय संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबन्धक, (मिर्जापुर मण्डल को छोड़कर)
 सहकारिता, उत्तर प्रदेश।

विषय:- मा० उच्च न्यायालय में अधिकोषण/संग्रह योजना से सम्बन्धित लम्बित रिट याचिकाओं में प्रतिशपथ पत्र दाखिल कराय जाने के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के परिपत्रांक सं० सी-39/अधि० रिट-14/दिनांक 01.09.2015 एवं परिपत्रांक सी- 51/ अधि० रिट-14 /दिनांक 29.10.2015 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा आपको निर्देश दिये गये थे कि मा० उच्च एवं उच्चतम न्यायालय में लम्बित रिट याचिकाओं में प्रभावी पैरवी किये जाने के सम्बन्ध में इस कार्यालय से समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से परिपालन सुनिश्चित कराते हुये अधिकोषण/संग्रह योजना से सम्बन्धित दिनांक 30.6.2015 तक की समस्त लम्बित याचिकाओं में दिनांक 31.10.2015 तक हर हाल में प्रतिशपथ पत्र दाखिल कराते हुये दिनांक 5.11.2015 तक इस आशय का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये कि दिनांक 30.6.2015 तक की अधिकोषण/संग्रह योजना से सम्बन्धित मण्डल की समस्त लम्बित याचिकाओं में प्रतिशपथ पत्र दाखिल करा दिया गया है तथा उक्त तिथि से पूर्व की किसी याचिका में प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया जाना अब शेष नहीं है।

किन्तु मिर्जापुर मण्डल एवं सम्बन्धित जनपदों को छोड़कर शेष जनपदों एवं मण्डलों द्वारा आप द्वारा उक्त परिपत्र में दिये गये निर्देशों का परिपालन सुनिश्चित करते हुये इस आशय का प्रमाण पत्र अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया है कि दिनांक 30.6.2015 तक की अधिकोषण/संग्रह योजना से सम्बन्धित मण्डल की समस्त लम्बित याचिकाओं में प्रतिशपथ पत्र दाखिल करा दिया गया है तथा उक्त तिथि से पूर्व की किसी याचिका में प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया जाना अब शेष नहीं है।

अतः आपको सचेत करते हुये निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से दिनांक 30.06.2015 तक अधि०/संग्रह योजना की लम्बित याचिकाओं में शतप्रतिशत प्रतिशपथ पत्र दाखिल कराते हुये दिनांक 20.11.2015 तक उक्त परिपत्र में प्रेषित प्रारूप पर इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उक्त तिथि तक उक्तानुसार प्रमाण पत्र उपलब्ध न कराने की दशा में आपके विरुद्ध यथोचित कार्यवाही की जायेगी।


 (किशन सिंह अटोरिया)
 आयुक्त एवं निबन्धक,
 सहकारिता उ०प्र०
 लखनऊ।